न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1319–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–02–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 12/अपील/2013–14.

.....

ललित किशोर चौधरी आत्मज श्री भगवानदीन चौधरी
निवासी ग्राम घाटली तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

रामनरेश चिमानिया आत्मज श्री गंगाप्रसाद चिमानिया
निवासी ग्राम घाटली तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री संजय महतो, अभिभाषक–आवेदक
श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 6/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार इटारसी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक भूतपूर्व सैनिक होकर ग्राम घाटली का निवासी एवं कृषक है, उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि मौजा ग्राम नागपूरकला तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे नम्बर 11/2 रकबा 1.927

हेक्टेयर है, उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा की भूमि के रकबा 0.4 जरीव X 0.30 पर आवेदक का अवैध कब्जा है, अतएव प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा उसे दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–70/11–12 दर्ज कर दिनांक 11–6–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–6–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–6–12 निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वह सीमांकन दिनांक 12–11–11 के अनुसार अनावेदक की भूमि से आवेदक का कब्जा हटाने की कार्यवाही कर अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–2–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा जिस सीमांकन कार्यवाही दिनांक 12–11–2011 के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह सीमांकन कार्यवाही व पारित आदेश विधि अनुसार नहीं होकर अधूरी कार्यवाही है ।

(2) अनावेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा अनेक बार सीमांकन कराया गया, परन्तु यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी बार सीमांकन हुआ है ।

(3) अनावेदक की ओर से आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक द्वारा कब्जा किये जाने की जानकारी किस

दिनांक को हुई है । संहिता की धारा 250 के अन्तर्ग आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 2 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है ।

(4) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के सीमांकन में स्वयं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि मौके पर तैयार किये गये पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर है और पंचनामे में आवेदक द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, के उक्त पंचनामे से सहमत थे, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(5) तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(6) सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही सूचना पत्र की तामीली हुई है, अतः आवेदक की अनुपस्थिति में किये गये आवैधनिक सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई थी और तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाये गये हैं :–

(1) निगरानी प्रस्तुत करने में 10 माह का विलम्ब हुआ है, इसके संबंध में आवेदक द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(2) अनावेदक के पक्ष में दिनांक 12–11–2011 को किया गया सीमांकन अंतिम हो गया है, क्योंकि उक्त सीमांकन के आदेश को आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिये दिनांक 12–11–2011 के सीमांकन आदेश के आधार पर अनावेदक द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई थी । अतः तहसीलदार

का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी और आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 11/2 रकबा 1.927 हेक्टेयर पर अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि का वह भूमिस्वामी है ।

(4) सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 12–11–2011 को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, तब अनावेदक को आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जानकारी हुई तब उसने समय सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पंचनामें मे उपस्थित व्यक्तियों अर्थात् पंचगण के मौके पर हस्ताक्षर वास्तविक स्थिति का वर्णन सूक्ष्म रूप से करते हुये सीमांकन कराये जाने के तत्पश्चात् संबंधित अधिकारी /कर्मचारी जब प्रतिवेदन बनाते है, तब उसमें पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हैं, अतः आवेदक का यह तर्क उचित नहीं है कि सीमांकन में आवेदक का अवैध कब्जा नहीं दर्शाया गया है । सीमांकन के लिये अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई कार्यवाही न्यायालय के अभिलेख का अंग होती है, जिसमें तैयार किये जाने वाले दस्तावेज, विधिक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें साक्ष्य से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं देने के कारण संहिता की धारा 250 में सीमांकन की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन में त्रुटियॉ दर्शाते हुये अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन की वैधानिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है, तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं

उचित कार्यवाही की गई है कि सीमांकन दिनांक 12–11–2011 के अनुसार अनावेदक की भूमि से आवेदक का कब्जा हटाने की कार्यवाही कर उन्हें सूचित करें और अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि करनें में आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–02–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर